राडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

20.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादीया ने निवेदन किया कि ग्राम माण्डल में आ०न० 5491 रकबा 0.6450 हैक्टर स्थित है जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 61 के खाता संख्या 260 में गणपत मूलचन्द पिता रामनारायण भाट सा० देह दर्ज है मूलचन्द

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	पिता राम नारायण वादीया के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के दादा व 4 के श्वसुर व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के दादा व 8 के श्वसुर के नाम वाद वर्णित आराजी 1/2 हक हिस्से से दर्ज है। प्रतिवादी सं० 1 से 4 के पिता व पति देशराज तथा प्रतिवादी सं० 5 से 8 के पिता व पति गजराज व वादीया सगे भाई बहिन है। देशराज व गजराज फौत हो चुके जिनके विधिक वारिस प्रतिवादी सं० 1 से 8 है। इस प्रकार वाद वर्णित आराजी में वादीया का 1/6 व प्रतिवादी सं० 1 से 4 का 1/6 व प्रतिवादी सं० 5 से 8 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 9 से 15 का 1/2 हिस्सा है। इसी अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण अपने-2 हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं परन्तु वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 के खाता सं० 2036 में प्रतिवादी सं० 1 से 8 के नाम पर आ०नं० 5491 मूलचन्द पिता रामनारायण की विरासत से खाता पुत्र देशराज, गजराज व पत्नि भगवती देवी के नाम पर ना०सं० 1951 निर्णित हुआ व इनके फौत होने पर खाता वर्तमान में प्रतिवादी सं० 1 से 8 के नाम पर ही संयुक्त खातेदारी से प्रतिवादी सं० 9 से 15 के साथ दर्ज कर दिया जबकि वादीया भी स्व० मूलचन्दजी की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है जिससे वाद वर्णित आराजी में वादीया का भी 1/6 हक हिस्सा निहित होते है परन्तु आराजी प्रतिवादी सं० 1 से 8 के नाम पर दर्ज होने	

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

वाद सं० 68/2020 कमलाबाई V/s. महेश कुमार वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का फायदा उठाकर वादीया को अपने कब्जे से बेदखल करने व आराजी को अन्य को रहन बेह बख्शीस करने की दिनांक 1-12-20 को धमकी दी जिससे वादकारण पैदा हुआ जो निरन्तर होने से वादीया ने यह वाद प्रस्तुत किया है। अत: वाद में वर्णित आराजी नं० 549 रकबा 0.6450 हैक्टर में 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्त किए जावे एवं वादीया को उसके हक हिस्से से बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादी सं० 1 से 8 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे। अत: वादीया का वाद स्वीकार फरमा इसी अनुसार वाद डिक्री फरमाया जावे।	
	हमने वकील वादीया की बहस सुनी एवं वाद में वर्णित तथ्यों तथा संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन से जाहिर आया कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 से 15 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ दिनांक 16-8-2022 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी सं० 16 व 17 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है जिनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वादीया ने अपने आप को मूलचन्द पिता रामनारायण भाट की पुत्री होना बताकर यह वाद पेश किया जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा न्यायालय में उपस्थित	

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	होकर लिखित या मौखिक खण्डन नहीं किया बल्कि सूचना होने के बावजूद मौन रहकर वाद के तथ्यों को सही होना स्वीकार किया जाना माना जाएगा। वादीया ने अपने वाद के समर्थन में पैतृक सम्पत्ति अर्थात मूलचन्द पिता रामनारायण भाट का 1/2 हिस्सा होने की पुष्टि में नकल जमाबन्दी सम्वत 2058 से 61 प्रदर्श-1 एवं मूलचन्द की मृत्युपश्चात विरासत से नामान्तकरण देशराज, गजराज व माता भगवती देवी के नाम निर्णित किया जो प्रदर्श-2 एवं अपने पिता मूलचन्दजी की खातेदारी की आ० नं० 5491 में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 लगायत 8 के नाम दर्ज है उस खाते की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श-3 पेश कर अपने वाद को पूर्णतया सिद्ध कराया है। चूंकि वादीया स्व० मूलचन्दजी की पुत्री है जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से स्व० मूलचन्दजी की खातेदारी की हक हिस्से में अपना 1/6 हिस्सा होना भी सिद्ध कराया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः वादीया का वाद इस आशय का डिक्री किया जाता है कि मौजा मांडल पटवार हल्का व तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 5491 रकबा 0.6450 किस्म बंजड़ में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

वाद संख्या 68/2020 कमलाबाई V/S महेशकुमार कोरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के हिस्से में से 1/6 हिस्सा कम करते हुए इन्द्राज दुरुस्त किया जावे तथा प्रतिवादी सं 1 लगायत 8 वादिया के 1/6 हक हिस्से से बेदखल नहीं करे न अन्य से करावे व शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट न स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	